न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–96/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटस

बनाम

1. इसराईल पुत्र सुफेदा
2. इन्नस पुत्र सुफेदा जाति मेव निवासीयान ग्राम ओडेला तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री गणपत सिंह नरूका, राजकीय अभिभाषक।

::: निर्णय :::

दिनांक :–09.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 द्वारा एक वाद धारा 88, 89 आरटीएक्ट का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया तथा हाल खसरा नंबर 466 रकबा 0.67 है0 में से 15 बिस्वा वाके ग्राम ओडेला तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया।जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट पैरोकार सरकार ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा यह जाहिर किया गया कि वादीगण विवादित आराजी पर पिता की मृत्यु के बाद से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और

जिसे बाद में चारागाह दर्ज किया गया है जबकि विवादित आराजी चारागाह की भूमि है जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया।वादीगण के पिता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी कराया गया। विवादित भूमि चारागाह भूमि है और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार चारागाह की भूमि को प्रतिबंधित क्षेत्र में आती है और जिसे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई वास्तविक साक्ष्य एकत्रित किये आलोच्य आदेश पारित किया है। निर्णय लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में सादिर फरमाया गया है। जबकि तहत अदालत द्वारा बिना तनकी कायम किये/बिना साक्ष्य एकत्रित किये अपना निर्णय पारित किया है। लोकअदालत/कैम्प कोर्ट में पक्षकारों की आपसी सहमति/राजीनामा से निस्तारित किये जा सकने वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है। तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है अतः अपील स्वीकार कर निर्णय तहत अदालत अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

हमने सरकार पैरोकार की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2017 का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया।

लोकअदालत/कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति/राजीनामा से निस्तारित किये जा सकने वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बीजवा में निर्णीत किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा वादी के वाद का प्रतिवाद किया गया है। उपर्युक्त के आधार पर इसमें तनकीयात, साक्ष्य, बहस सारी विधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय किया जाना था परन्तु तहत अदालत द्वारा ऐसा न करके गंभीर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2017 खारिज किया जाकर प्रकरण तहत अदालत में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद विचारण की संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये, जबावदावा के आधार पर, विवाद्यक की रचना कर, विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये साक्ष्यों के आधार पर पुनः तनकीवार अपना निर्णय पारित करें।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/2/21
(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर